□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख□□: 2055
29 □□□□, 2019 □□ □□□□□□□□□□प्रश□ □□ □त्त□

□ि□□□ □□□□□□ □□□क्र□

2055. श्री□ □□□□ □□□□ □□□□□
□श्री□ □□□ □□□□□□□□
□□□ □□□□□□□□ □□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री □□ □□□□□ो □□□ □□□□ि□□

(□) विगत तीन वर्षां और चालू वष के दौरान परिवार नियोजन से संबंधित विज्ञापनों पर सरकार द्व□□□ □□-□□□ ि□□ □□ व्य□ □□□□ □ि□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□रू□□□ □□□ □□□□□□□□□ ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा शुरू किए गए परिवार नियोजन कायक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(□) उक्त अवधि के दौरान जन्मदर को कम करने म हुई प्रगति सहित परिवार नियोजन कायक्रमों □□□□□ हुए व्यय/विनिर्दिष्ट राशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और वष-□□□ ब□□□□ क्□□ □;□

(□) क्या सरकार का भविष्य म इस संबंध म बजट प्रावधानों को बढ़ाने का विचार है और यदि □□,□□ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(□) 19-24 वष को आयुवग के अविवाहित युवाओं (पुरुषों और महिलाओं) के लिए लक्षित □ि□□□□ नियोजन से संबंधित कायक्रमों/योजनाओं □□ ब्यौरा क्या है; □□

(□) क्□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□क्□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□) □□ □□□□□□□□□ो □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □ि□ □□,□□ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>□त्त□</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री□ □□श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क): परिवार नियोजन के विषय म जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ को गई मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार से है:-

i. 360 व्य[illegible] [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] प्र[illegible] [illegible], 2016 म आरंभ किया गया तथा वतमान [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], पोस्टस तथा हार्डिंग्स [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]को 2017 म आरंभ किया गया।

ii. सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों म जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रति वष विश्व जनसंख्या दिवस तथा [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

iii. प्रोत्साहनात्मक गतिविधियां [illegible] प्र[illegible] दर वाले मिशन परिवार विकास जिलों म जागरूकता बढ़ाने के लिए जैसे सास बहु सम्मेलन, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

विगत तीन वर्षों तथा वतमान वष के दौरान परिवार नियोजन से संबंधित विज्ञापनों पर सरकार द्वारा किया [illegible] [illegible]-[illegible]र व्यय निम्नानुसार ह:-

- 2016-17: 3154.99 [illegible] रु.
- 2017-18: 3306.21 [illegible] रु.
- 2018-19: 3123.20 [illegible] रु.
- 2019-20 ([illegible] [illegible] [illegible]): 548.66 [illegible] रु.

(ख): उक्त अवधि के दौरान जन्म दर को कम करने के लिए को गई प्रगति सहित परिवार नियोजन कायक्रमों हेतु निर्धारित व्यय के वष-वार ब्यौरे अनुलग्नक-I म दिए गए ह।

(ग): सावजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, देश म स्वास्थ्य परिचया के सुदृढ़ीकरण को प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों को है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ शासित राज्यों से प्राप्त उनके प्रस्तावों के आधार पर स्वास्थ्य परिचया सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु सहयोग प्रदान किया [illegible] [illegible]

(घ): अविवाहित युवाओं (महिला तथा पुरुषों) जिनका आयु-[illegible] 19-24 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नियोजन से संबंधित कायक्रमों/[illegible]ओं [illegible] [illegible]ग्न[illegible]-II म दिए गए ह।

(ड.): सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों म अखिल-भारतीय स्तर पर अंतरा कायक्रम के तहत इंजक्टेबल गभनिरोधक मेडरोक्सी प्रोसडोसट्रोन एक्सरेट (एमपीए) तथा सेवाओं का प्रावधान को शुरूआत को [illegible]

परिवार नियोजन कायक्रम हेतु निर्धारित राशि:

क्र.□□	□□ज□	□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□ □□□ □)			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
□. उच्च फोकस वाले राज्य					
1	□□□□□	24690.2	28396.3	36894.1	33401.1
2	□त्ती□□□□	8248.2	10018.4	9410.5	9817.6
3	□□□□□□ प्र□□	2573.6	2704.4	2739.3	6278.7
4	जम्मू और कश्मीर	3997.1	3077.3	3885.5	4158.3
5	□□□□□	7841.7	10436.8	11702.0	13440.2
6	□ध्□ प्र□□	25711.8	25188.5	28619.2	35828.4
7	□□□□□	11120.9	12060.6	13487.0	10999.2
8	□□□स्□□□	20418.4	23713.7	22956.3	39316.8
9	□त्त□ प्र□□	52775.6	54054.9	53174.4	40203.7
10	□त्त□□□□	2391.5	2465.6	2760.5	3752.7
□. □□र्त्त□ □□ज□					
11	□रु□□□□ प्र□□	1380.2	1906.2	1510.8	1207.4
12	□□□	12194.2	12629.0	13892.9	16687.4
13	□□□□□	1017.4	1159.0	1014.5	1859.3
14	□□□□□	1768.6	1127.3	1257.1	2967.9
15	□□□□□□	727.3	751.6	544.0	649.1
16	□□□□□	1099.6	943.7	918.2	924.1
17	सिक्किम	259.5	302.2	284.4	327.1
18	□त्रि□□	1364.6	1839.8	1410.8	1650.1
□. □□-□च्च □□□□ □□□□□□ज□					
19	□ध्र प्र□□	9785.4	7914.7	6273.1	6596.8
20	□□□□	218.4	366.1	321.4	970.8
21	□□□□□	11718.7	11659.9	12505.7	15996.5
22	□f□□□□□	4945.0	4999.2	5917.8	5346.3
23	□□□□□	14052.3	13267.9	14882.0	19942.2
24	□□□	2284.4	3257.7	5200.4	4878.8
25	□□□□□ष्ट्र	19998.6	20357.2	19541.7	38691.6
26	□□□□	4337.0	3611.7	5487.3	9703.8
27	□□□□□□□□	10635.3	11019.4	11445.9	21797.1
28	□□□□□□	9599.0	11424.7	6334.0	5614.7
29	□□श्चि□ □□□□	11511.3	17908.9	14676.4	20218.4
□. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
30	□□□□□ □□ □□□□□□□ द्वी□ □□□	222.4	300.5	262.4	271.5
31	□□□□□	196.3	218.6	139.7	87.9
32	□□□□□ □□ □□□ □□□□	204.6	202.3	216.6	158.5
33	□□□ □□ □□□	96.7	118.4	109.9	77.0
34	दिल्ली	1983.2	1944.0	1925.7	1552.7
35	लक्षद्वीप	52.5	73.1	62.4	49.2
36	□□□□□	188.9	252.0	273.6	302.3
	□□□ □□□	281610.6	301671.5	312037.7	375725.2

परिवार नियोजन कायक्रमों हेतु हुआ व्यय:

क्र.[illegible]	[illegible]	[illegible] (व्यय) ([illegible])			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 ([illegible])
[illegible]. उच्च फोकस वाले राज्य					
1	[illegible]	13361.2	15927.7	19813.3	6068.0
2	[illegible]	5884.4	5830.2	6823.2	3718.1
3	[illegible]	2001.3	1467.5	2536.3	3297.2
4	जम्मू और कश्मीर	2072.0	1948.0	2651.9	867.2
5	[illegible]	4627.4	5665.4	7024.2	3466.9
6	[illegible]	19854.3	18265.6	20036.7	19457.1
7	[illegible]	8214.3	7587.6	9388.5	4160.2
8	[illegible]	16927.9	13206.2	19909.4	15791.6
9	[illegible]	21733.8	31006.5	35428.9	12380.0
10	[illegible]	1942.0	1889.7	2339.3	2267.9
[illegible]					
11	अरुणाचल प्रदेश	873.3	808.3	796.3	272.3
12	[illegible]	10890.3	7863.9	11034.7	6717.5
13	[illegible]	333.6	432.7	734.9	453.3
14	[illegible]	747.8	788.8	668.3	311.1
15	[illegible]	398.5	402.1	425.5	152.0
16	[illegible]	527.3	301.4	699.0	235.5
17	सिक्किम	211.6	220.8	250.7	36.3
18	[illegible]	780.5	997.9	1059.9	296.3
[illegible]					
19	[illegible]	8255.8	5179.8	5551.8	2386.3
20	[illegible]	104.3	130.7	170.0	139.5
21	[illegible]	11525.6	9734.8	11142.5	3882.0
22	[illegible]	3049.5	3264.4	4050.8	1738.0
23	[illegible]	5336.3	8904.1	9924.4	5196.7
24	[illegible]	1828.2	2164.5	2992.3	1206.2
25	[illegible]	11543.3	9668.2	16018.5	4067.3
26	[illegible]	3537.1	2068.5	4110.1	5452.6
27	[illegible]	11232.3	6798.6	12375.4	3987.0
28	[illegible]	2941.6	1922.3	5462.3	1834.5
29	[illegible]	9734.5	7989.8	11200.7	7526.1
[illegible]. छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र					
30	[illegible]	100.0	104.0	167.6	126.6
31	[illegible]	82.4	119.1	134.5	41.4
32	[illegible]	119.5	99.5	112.4	38.3
33	[illegible]	50.2	52.5	67.5	16.9
34	दिल्ली	726.1	1123.4	731.1	327.4
35	लक्षद्वीप	15.8	19.9	27.0	22.8
36	[illegible]	139.8	157.6	157.7	83.4
	[illegible]	181704.1	174111.8	226017.6	118021.6

□न□□□ □□ □□ करने के राज्य/संघ शासित राज्य वार विवरण (स्रो□: □□ □□□□□)

	2016-17	2017-18
□□□□	20.4	20.2
□□□□□ □□ □□□□□□□ द्वी□□	11.7	11.4
□ध्र प्र□□	16.4	16.2
अरुणाचल प्रदेश	18.9	18.3
□□□	21.7	21.2
□□□□□	26.8	26.4
□□□□□	13.9	13.5
□त्ती□□□□	22.8	22.7
□□□□□ □□ □□□ □□□□□	24.5	23.6
□□□ □□ □□□	24.0	20.2
दिल्ली	15.5	15.2
□□□□	12.9	12.5
□□□□□	20.1	19.9
□ि□□□□□	20.7	20.5
□□□□□□ प्र□□	16.0	15.8
जम्मू और कश्मीर	15.7	15.4
□□□□□	22.9	22.7
□□□□□	17.6	17.4
□□□	14.3	14.2
लक्षद्वीप	18.9	15.0
□ध्□ प्र□□	25.1	24.8
□□□□□ष्ट्र	15.9	15.7
□□□□□	12.9	14.6
□□□□□	23.7	22.8
□□□□□□	15.5	15.0
□□□□□	14.0	13.5
□□□□□	18.6	18.3
□□च्चे□□	13.9	13.2
□□□□	14.9	14.9
□□□स□□□	24.3	24.1
सिक्किम	16.6	16.4
□□□□□□	17.5	17.2
□□□□□□□□	15.0	14.9
त्रि□□□	13.7	13.0
□त्त□ प्र□□	26.2	25.9
□त्त□□□□	16.6	17.3
□□श्चि□ □□□□	15.4	15.2

□□□ग□□ -II

भारत को आबादी के लिए बच्चों □□□न□ के बीच अंतराल रखने से संबंधित परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित को जा रहीं रणनीतियां □□म□□□□□ □ :

1. □□ □□□□□ □□□□: पसंद के वतमान गभ निरोधकों म नए गभ निरोधक नामतः इंजेक्टेबल गभनिरोधक तथा सटक्रोमेन शामिल किए गए ह।
2. पुरुष प्रतिभागिता पर विशेष ध्यान देते हुए चहुमुखी मीडिया अभियान के माध्यम से उन्नत मांग सृजन □□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□ों □ो □□ □□ि□□□ □□□□, ओसीपी तथा ईसीपी को पैकेजिग म अब और सुधार किया गया है और इन्ह नए रूप म तैयार किया गया है ताकि इन सामग्रियों को मांग बढ़े।
4. मौजूदा आईयूसीडी 10 वर्षों तक प्रभावी (सीयू आईयूसीडी 380 क) के विकल्प के रूप म कायक्रमों 5 □□ों के लिए प्रभावी सीयू आईसूसीडी 375 को शुरूआत को गई।
5. स्वास्थ्य सुविधाओं म कंडोम बॉक्स लगाए गए ह ताकि उपभोक्ता के आसानी से कंडोम प्राप्त हो सक।
6. □□□□□ों □ो □t□□□□ □□□-भाड़ वाले केन्द्रों म काय सर्मापत □□□□□□□□□□+ ए परामशदाताओं □ो नियुक्ति को गयी है।
7. □□□□ □ि□□□□ □□□□□: □□□□□ □,□सात उच्च संकेन्द्रण राज्यों म 3 एवं अधिक को कुल जनन दर (टीएफआर) वाले 146 उच्च प्रजनन जिलों म गभ निरोधक तथा परिवार नियोजन को पहुंच म लाने म पयाप्त वृद्धि करने हेतु मिशन परिवार विकास प्रारंभ किया है। ये जिले उत्तर प्रदेश, □□□□□, □□□स□□□, □ध□ प्र□□, □त्त□□□□, झारखंड और असम राज्यों से ह जिनम देश को 44 प्रतिशत जनसंख्या रहती है।
8. परिवार नियोजन संभार तंत्र प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (एफपी-□□□□□ □□□□):- □□□ स□□ □□ स्वास्थ्य केन्द्रों म परिवार नियोजन सामग्रियों के अबाध पूवानुमान, □□□□ □□□□□□□ □□□□श्चि□ □□□□ □□□□□ □□ि□□ □□फ□□□□

****